

पेज-1

प्रेमचन्द-साहित्य और दलित-विमर्श ।

-- डॉ० प्रफुल्ल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सह अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आर०आर०एस०काँलेज
मोकामा (नैक ग्रेड-बी)।पी०पी०यू०पटना।

सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथासम्राट प्रेमचन्द ने भारतीय समाज को दो प्रमुख वर्गों में विभक्त करके देखा है। एक वर्ग सुखी-सम्पन्न, धन-धान्य से परिपूर्ण, सेठ-साहुकार, जमीन्दार, पंडित-ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत आदि उच्चवर्ग। दूसरा गरीब, अभावग्रस्त, मजदूर, भूमिहीन, चमार, गोंड, आदि अनसूचित जाति जनजाति निम्न जाति के, शोषित, पीड़ित, समाज की मुख्य धारा से वंचित वर्ग। प्रेमचन्द ने अपने अधिकांश उपन्यासों एवं कहानियों में समाज के निम्न वर्ग के पात्रों को सम्मान एवं सहानुभूति प्रदान किया है। गोदान में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, सिलिया हो या कर्मभूमि का अमरकान्त और उसकी पत्नी, ईदगाह का हामिद हो या उसकी दादी अमीना, पूस की रात का झबरा कुत्ता, दो बैलों की कथा का झूरी हो या दोनों बैल-हीरा और मोती, पंच परमेश्वर का अलगू चौधरी, जुम्मन, खाला, ठाकुर का कुआँ का जोखू या गंगी, सद्गति कहानी का दुखी चमार हो या झूरिया, सबसे प्रेमचन्द का हृदय जुड़ा हुआ है। सबके साथ गलबारीं देकर बात-चीत करते हुए कहानियों को अबाध रूप से अग्रसर होने देते हैं। पात्रों की योग्यता के अनुरूप भाषा-शैली में अपनी अभिव्यक्ति को ऐसा प्रभावशाली बनाते हैं कि पाठक रचनाकार के साथ विश्वसनीय आत्मीय सम्बन्ध बना लेता है। इनके उपन्यासों एवं कहानियों के पात्र अपने समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों के परिचायक हैं। इनकी रचनाएँ तात्कालिक भारतीय समाज की यथार्थ गाथाएँ कहती हैं। प्रेमचन्द ने स्वयं निम्न मध्यवर्गीय परिवार के अभावपूर्ण, संकटग्रस्त जीवन बनारस के लमही ग्राम में व्यतीत किया है। 1880 ई० से 1936 ई० तक के जीवन काल में उच्च जाति वर्ग में पैदा हुए प्रेमचन्द ने मन और धन ही नहीं सर्वस्व जीवन भी होम करके साहित्यिक कृतियों के माध्यम से दलित, पीड़ित, शोषित, समाज की सेवा की है। यही कारण है कि इनके साहित्य में शोषितों, दलितों, प्रताड़ित, वंचितजनों के प्रति संवेदनाएं चित्रित हैं। सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 1936 ई० में रचित गोदान का उदाहरण लिया जाय तो हम पाते हैं कि होरी महतो जाति का दलित छोटा सा किसान है। वह सपरिवार दिन-रात कड़ी मेहनत करता है। अपनी ऊपज का आधा भाग कर्जदाता दातादीन को चुका देता है। शेष आधे से अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी धनिया, बेटा गोबर, बहू झुनिया, बेटा सोना-रूपा एक साथ रहते हैं। वह परिवार सामंतों-महाजनों के द्वारा किए जाने वाले दमन, शोषण के कारण अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। होरी को अपनी बेटा भी बेचना पड़ता है।

पेज-2

(प्रेमचन्द साहित्य और दलित विमर्श)----- होरी का पूरा परिवार जी तोड़ परिश्रम करने के बावजूद भी शोषण-दमन के कारण अभाव ग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है।होरी की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जाती है।उसे अपनी तीन बीघा जमीन गिरवी रखना पड़ता है।बेटी बेचना पड़ता है।जीवनसाथी के साथ रहने का भाग्य नहीं मिला।होरी का सपना था कि घर में गाय पालूँगा,वह सपना जीवन पर्यंत सपना ही रह गया--"हीरा ने रोते हुए कहा-भाभी,दिल कड़ा करो,गो-दान करा दो,दादा चले।-और कई आवाजें आर्यी-हाँ,गो-दान करा दो,अब यही समय है।धनिया यंत्र की भाँति उठी,आज जो सुतली बेची थी,उसके बीसआने पैसे लायी और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली--- महाराज,घर में न गाय है,न बछिया,न पैसा।यही पैसे हैं,यही इनका गो-दान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी।"(1)

गोदान में होरी और धनिया सामाजिक स्तर पर क्रांतिकारी कदम उठाते हुए यादवों के घोर विरोध के बावजूद झूनिया को बहू स्वीकार करते हैं।धनिया मातादीन की मजदूरनी से रखैल बनी सिलिया को जबरदस्त संरक्षण प्रदान करती है।सिलिया को ब्राह्मण का दर्जा देने के बजाय मातादीन को ही चमार बनाने का अभियान छिड़ गया।प्रेमचन्द का दलितों के प्रति सहानुभूति ऐसे ही प्रसंगों में द्रष्टव्य है।प्रेमचन्द ने ब्राह्मण मातादीन को चमार बनाकर ही छोड़ा।क्रांति का स्वर सभी पात्रों में देखा जा सकता है--"सिलिया की माँ-- वाह-वाह पण्डित खूब नियाव करते हो।तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती।हम चमार हैं, इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं।हम सिलिया को अकेले न ले जायेंगे, उसके साथ मातादीन को भी ले जायेंगे, जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है।तुम बड़े नेमी-धरमी हो।उसके साथ सोओगे; लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे।"(2)

वहीं अपने कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचन्द ने सवर्ण अमरकांत को दलितों के साथ घुलमिलकर दलितों की समस्याओं का समाधान ढूँढने में व्यस्त दिखाया है।अमरकांत की पत्नी सुखदा दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन चलाती है।

समाज में शोषण की प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया के प्रादुर्भाव का कोई समय निर्धारित नहीं है।सम्भवतः मनुष्य ने जिस समय से सामाजिक जीवन जीना शुरू किया है उसकी समय से बड़े-छोटे,ऊँच-नीच,अमीर-गरीब, बलशाली-कमजोर,समझदार-नासमझ का भेद-भाव समानान्तर गति से विकसित होता गया।वर्ग-भेद सामूहिक जीवन जीनेवालेअन्य जीवों में भी मिलता है।प्राकृतिक प्रतिद्वन्द का सिद्धान्त अक्षुण्ण है।जो बड़े हैं,वे छोटे का शिकार करने की कोशिश करते रहते हैं। मनुष्य चूंकि संवेदनशील सामाजिक प्राणी है इसलिए मानव-समाज के लिए यह कृत्यअशोभनीय,निंदनीय,असामाजिक,अपराध है।इससे व्यक्ति या जाति विशेष को लाभ भले हो जाय,समाज या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है।भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक के लिए समानता का अधिकार प्रदान करता है।भारत एक गणतांत्रिक गणराज्य है।यहाँ के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा,

आत्मसम्मान,आत्माभिव्यक्ति काअधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है।किसी भी भारतीय नागरिक को उसके मौलिक अधिकार से वंचित रखना या उसके ऐसेअधिकारों का हनन करना कानूनन जूर्म है। ऐसे अपराधियों के लिए दण्ड निर्धारित है।

इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भारतीय समाज में दलित वर्ग की समस्याएँ बनी हुई हैं।दलित कोई भी हो सकता है।किसी जाति,धर्म,समुदाय का वह व्यक्ति दलित है,जिसकी सामाजिक,आर्थिक राजनीतिक स्थिति अत्यंत पिछड़ी और दयनीय हो। दलित,पीड़ित,समाज की मुख्यधारा से वंचित,शोषित, दबे-कुचले लोगों का एक ऐसा वर्ग जिसका सारा जीवन दो शाम की रोटी जुटाने में ही व्यतीत हो जाता है। इस संदर्भ में जाति,धर्म,संप्रदाय कोई भी आधार नहीं हो सकता है।गरीबी किसी को भी अपने आगोश में ले लेती है। भरपूर काम करने के बावजूद गरीब को दुत्कार दिया जाता है।वह लाचार, पीड़ित,शोषित जीवन भी नहीं जी पाता है। सरकार की ओर से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के सभी सदस्यों को सहायता नहीं मिलती है। सभी को राशनकार्ड नहीं, बी पी एल सूची में सबका नाम नहीं।वृद्ध माता-पिता को वृद्धा पेंशन नहीं।अपनी जमीन रहती नहीं है। वह मजदूरी करते हुए जीता-मरता है। आगे बच्चों के भविष्य की संभावनाओं को कौन नहीं जानता है।

भारत की आज़ादी के तुरंत बाद यह महसूस किया गया था कि-"आम जनता की घोर गरीबी का कारण यही है कि उसके पास उसकी अपनी कही जाने वाली कोई जमीन नहीं है।--- समाजवाद में समाज के सारे सदस्य बराबर होते हैं, न कोई नीचा और न कोई ऊँचा।"(3)

कांग्रेस ने दलित, शोषित, जातियों की समस्याओं के समाधान के लिए 1919ई०में ही प्रस्ताव पास किया कि"परम्परा से दलित जातियों पर जो रूकावटें चली आ रही हैं,वे बहुत दुःख देने वाली हैंऔर क्षोभकारक है,जिससे दलित जातियों को बहुत कठिनाईयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।इसलिए न्याय और भलमनसी का यह तकाजा है कि ये तमाम बंदिशें उठा ली जायें।"(4)

दलित चिंतक चंद्रभानजी ने सामाजिक जीवन का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि "आजादी के बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन जाति के पूर्वाग्रह नहीं बदले,जाति के नाम पर होने वाला दमन तो इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है।"(5) भारत सरकार ने 1955 में छूआछूत के विरुद्ध ,1989 में अत्याचार के विरुद्ध, और 2015 में कड़ा दलित एक्ट बनाया है।

पेज 3

(प्रेमचन्द-साहित्य और दलित-) प्रेमचन्द अपने समय से आगे की सोच रखने वाले साहित्यकार थे। उन्होंने जिस दलित चेतना के चित्रण की नींव रखी है वह आगे चलकर सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला के उपन्यासों-अलका, निरूपमा, कुल्लीभाट, पाण्डेय बेचनशर्मा उग्र के उपन्यास-बुधुआ की बेटी, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास-भूले-विसरे चित्र, नागार्जुन के उपन्यासों-बलचनमा, दुखमोचन, वरुण के बेटे आदि के रूप में हिन्दी साहित्य के विस्तृत फलक पर दृष्टि गोचर होता है। प्रेमचन्द के बाद हिन्दी साहित्य में दलित-विमर्श विषय पर केंद्रित कहानियों का आंदोलन छिड़ गया। प्रेमचन्दोत्तर कथा-साहित्य में प्रेमचन्द से भी आगे बढ़ कर दलितों-शोषितों के प्रति सहानुभूति दया-करुणा अभिव्यक्त होने लगी। प्रेमचन्द से भी अधिक खुलकर साहसिक लेखनी चलाने वाले साहित्यकार दलितों के उत्पीड़न एवं अन्याय को अधिक से अधिक अपनी रचनाओं में स्थान देने लगे। आज दलित- साहित्य एवं दलित-साहित्यकारों का एक स्वतंत्र समृद्ध संवर्ग शिखर पर अवस्थित है। जिस पर समाज को गर्व भी है कि ये साहित्यकार समाज को नयी दृष्टि, नया मार्ग, नया स्वरूप प्रदान करेंगे। शायद प्रेमचन्द ने यह महसूस कर लिया था कि समाज का रूख बदलने वाला है। दबे-कुचले लोग अब आगे चलकर सामंती-शोषण और दबाव झेलने वाले नहीं हैं। इसी दूरदृष्टि का परिचय अपनी कहानियों-सद्गति, कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआँ, जुर्माना, सवा सेर गेहूँ, दूध का दाम, घासवाली, मंदिर, मंत्र, गरीब की हाय, विध्वंस, आदि में दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग की उपेक्षा और उनके साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार के साथ उनके जीवन-संघर्ष की यथार्थ अभिव्यक्ति से दी है।

मुंशी प्रेमचन्द ने सद्गति कहानी में दिखाया है कि किस प्रकार दुखी चमार और झुरिया अपनी बिटिया की सगाई का साइत-सगुण विचारने के उद्देश्य से पंडित घासीराम को अपने घर बुलाने का यत्न करते हैं। उनकी आदर-सत्कार के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। उधर घासीराम है कि जब दुखी उनके घर पहुंचता है तब उससे बेगार करवाने लगता है। दुखी भूखे-प्यासे बेगार करते हुए घासीराम के दरवाजे पर दम तोड़ देता है। दुखी चमार का शव उठाने से चिखुरी गाँड़ सबको मना कर देता है। चिखुरी ने चमारों ने में जाकर सबसे कह दिया-"खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्ली है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे। लाश उठाओगे तो तुमभी पकड़े जाओगे।" (6)

चमारों के असहयोग या कहे विरोध के परिणाम स्वरूप रातभर दुखी की लाश को लेकर पंडित की बस्ती में बेचैनी बनी रही। अंततः स्वयं पंडित घासीराम लाश को रस्सी से बाँधकर घसीटते हुए गाँव से बाहर खेत में छोड़ आया। प्रेमचन्द ने लिखा है-"पंडित जी ने रस्सी पकड़ कर लाश को घसीटना शुरू किया और गाँव के बाहर घसीट ले गये। वहाँ से आकर तुरन्त स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का।

उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यन्त की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।" (7)

प्रेमचन्द ने भारतीय कृषि संस्कृति के बहाने सम्पूर्ण भारतीय समाज के दलित वर्ग की संघर्ष गाथा का विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया है। सामाजिक स्तर पर सामंती शोषण एवं जातिगत विद्वेष की गहरी संवेदना इनकी रचनाओं में छलक पड़ती है। 'सवा सेर गेहूँ' कहानी का शंकर सवा सेर गेहूँ कर्ज लेकर इतना बड़ा कर्जदार बन गया कि शंकर किसान से मजदूर बन गया और कर्जदाता विप्रजी महाजन हो गये। शंकर ने ईमानदारी के साथ विप्रवर को सवा सेर गेहूँ कर्ज के बदले डेढ़ पंसेरी गेहूँ चुका दिया था लेकिन अब भी विप्र ने लेखा जौ-जौ, बखसीस सौ-सौ के सिद्धांत पर हिसाब की बही में पाँच मन बकाया का हिसाब बताया। इसपर शंकर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा- "पाँडे क्योँ एक गरीब को सताते हो, मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूँ किसके घर से लाऊँगा? विप्र-- जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाँक भर भी न छोड़ूँगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे।" (8) सवासेर गेहूँ का कर्ज चुकाने के लिए वह विप्र की 20 वर्षों तक गुलामी करते हुए ईस संसार से चला गया। उसके बाद उसका जवान बेटा कर्ज चुकाने में लग गया। पता नहीं कब किस पीढ़ी में कर्ज चुकेगा।

पेज 4

(प्रेमचन्द-साहित्य और दलित-विमर्श)।

प्रेमचन्द स्वयं गरीब परिवार में जन्म लिये थे। सात साल में माता और चौदह साल में पिता के देहांत होने के कारण उन्हें रोजी-रोटी की चिंता बहुत जल्दी हो गई। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर मैट्रिक पास किया। स्कूल मास्टरी और डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी भी गाँधीजी के आह्वान पर छोड़ कर साहित्य-सृजन करते रहे। यही कारण है कि गरीबी में पले हुए इस साहित्यकार ने यत्र-तत्र अपने साहित्य में गरीबों के प्रति सहानुभूति और जागरूकता अभिव्यक्त की है-"जिस समाज में गरीबों के लिए स्थान नहीं, वह उस घर की तरह है जिसकी बुनियाद न हो। कोई हल्का सा धक्का भी उसे जमीन पर गिरा सकता है। मैं अपने धनवान और विद्वान और सामर्थ्यवान भाइयों से पूछता हूँ, क्या यही न्याय है कि एक भाई तो बंगले में रहे, दूसरे को झोपड़ा भी नसीब न हो? क्या तुम्हें अपने ही जैसे मनुष्यों को इस दुर्दशा में देखकर शर्म नहीं आती? तुम कहोगे, हमने बुद्धि-बल से धन कमाया है, क्यों न उसका भोग करें। इस बुद्धि का नाम स्वार्थ बुद्धि है, और जब समाज का संचालन स्वार्थ बुद्धि के हाथ में आ जाता है, न्याय-बुद्धि गद्दी से उतार दी जाती है, तो समझ लो कि समाज में कोई विपल्व होने वाला है। गरमी बढ़ जाती है, तो तुरत ही आँधी आती है। मानवता हमेशा कुचली नहीं जा सकती। समता जीवन का तत्व है। यही एक दशा है, जो समाज को स्थिर रख सकती है। थोड़े से धनवानों को हरगिज यह अधिकार नहीं है कि वे जनता की ईश्वरदत्त वायु और प्रकाश का अपहरण करें। यह विशाल जनसमूह उसी अनधिकार, उसी अन्याय का रोषमय रुदन है। अगर धनवानों की आँखें अब भी नहीं खुलती, तो उन्हें पछताना पड़ेगा। यह जागृति का युग है। जागृति अन्याय को सहन नहीं कर सकती। जागे हुए आदमी के घर में चोर और डाकू की गति नहीं।" (9)

डा० शान्ति कुमार के माध्यम से प्रेमचन्द ने समाज में समानता लाने के अपने विचार से अवगत करवाया है। समाज में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता प्राप्त हो इसके लिए विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं। भारत में अंग्रेजी शासन-व्यवस्था में भी शूद्रों को भी सम्पत्ति रखने का कानून बनाया गया। न्याय-व्यवस्था में सभी के लिए समान दंड का कानून बनाया गया। सरकारी सेवा में जाति-धर्म पर आधारित भेद-भाव मिटाने का काम किया गया। शूद्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में जाने का अधिकार दिया गया। सामाजिक कुरीतियों-कन्या-हत्या, दास-प्रथा, सती-प्रथा, नरबलि-प्रथा, देवदासी-प्रथा, चरक पूजा, बहूविवाह-प्रथा, बाल विवाह, बेगार-प्रथा आदि की जंजीरों में जकड़ी हुई दलितों की मुक्ति के प्रयास किए गए हैं। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व के प्रयास स्वातंत्र्योत्तर भारत में और अधिक प्रबलता पूर्वक गतिमान हुआ। इतने सारे सामाजिक, राजनैतिक आंदोलन होते रहे हैं। इनके बीच साहित्यिक कृतियों द्वारा हिन्दी साहित्य के अमर योद्धा कथासम्राट, उपन्यासकार का संघर्ष अविस्मरणीय रहेगा। प्रेमचन्द भारतीय समाज को आदर्श स्वरूप देना चाहते थे। उनके इस कार्य में सामाजिक विसमता सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी थी। इसलिए उपरोक्त उद्धरण में डा० शान्ति कुमार कहते हैं कि अब जागृति आ चुकी है। समानता आयेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता है। प्रेमचन्द की

दृष्टि में समरसता और मानवता मिलकर विशिष्ट समाज का निर्माण करेगी तब भारत आदर्श राष्ट्र बनेगा। प्रेमचन्द समाज में यह बदलाव अचानक ही होते हुए नहीं दिखलाया है। भारतीय समाज में एक दिन, महीने या साल में बदलाव कभी हुआ भी नहीं है। इसलिए वे संघर्ष दिखलाते हैं। उदाहरण है- "हल्कू ने आकर स्त्री से कहा-सहना आया है, लाओ, जो रुपये रखे हैं, उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिर कर बोली-तीन ही तो रुपये हैं; दे दोगे तो कम्मल कहाँ से आवेगा? माघ-पूर्व की रात हार में कैसे कटेगी। उससे कह दो, फसल पर रुपये दे देंगे। अभी नहीं।-- न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर-मर काम करो, उपज हो तो बाकी

पेज-5

,(प्रेमचन्द-साहित्य और दलित-विमर्श -डॉ.प्रफुल्ल कुमार,आर आर एस कॉलेज मोकामा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना)----बाकी दे दो,चलो छुट्टी हुई।बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है।पेट के लिए मजूरी करो।ऐसी खेती से बाज आये।में रुपये न दूँगी-न दूँगी।"(10)

ठाकुर का कुआँ कहानी का जोखू प्यासे तड़प रहा है,घर में पीने के लिए पानी नहीं है।पत्नी गंगी ठाकुर और साहू के कुएँ से पानी लाना चाहती है तो जोखू यह कहकर मना कर देता है कि"हाथ-पाँव तुड़वा आयेगी और कुछ न होगा।बैठ चुपके से।ब्रम्ह-देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पाँच लेंगे।गरीबों का दर्द कौन समझता है।हम तो मर भी जाते हैं,तो कोई दुवार पर झाँकने नहीं आता कंधा देना तो बड़ी बात है।ऐसे लोग पानी भरने देंगे?"(11)

प्रेमचन्द ने आगे लिखा है-"गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा-हम क्यों नीच हैंऔर यह लोग क्यों ऊँच हैं?इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं?यहाँ तो जितने हैं,एक से एक छँटे हैं?चोरी ये करें,जाल-फरेब ये करें,झूठे मुकदमे ये करें।अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया।इन्हीं पंडित जी के घर में बारहो मासा जुआ होता है।यही साहूजी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं।काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में हैं हमसे ऊँचे।हाँ मुँह में हमसे ऊँचे हैं।"(12)

इस प्रकार की विद्रोही भावनाओं से ओत-प्रोत कहानियों में कथासम्राट ने दलित समाज की विवशता,आक्रोश और अपने अस्तित्व की रक्षा करने के प्रयास दिखाया है तो कहीं-कहीं विफलताओं की ओर लुढ़क जाने की लाचारी भी। गंगी जानपर खेल कर भी,सारे प्रयासों के वावजूद जोखू के लिए साफ पानी नहीं ला सकी।जोखू अंततः गंदा पानी से ही अपनी प्यास मिटाने के लिए विवश हो गया। इसके विपरीत'घासवाली'कहानी में प्रेमचन्द ने चमारिन मुगिया के रुप-माधूर्य से आकर्षित ठाकुर चैनसिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। प्रेमचन्द ने लिखा है-"चैनसिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जाति में रुप-माधूर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊँची जाति वालों का खिलौना बने।ऐसे कितने ही मौके उसने जीते थे; पर आज मुलिया के चेहरे का रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गये।उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया।मुलिया वेग से आगे बढ़ गई।"(13)(दूसरे दिन)-"चैनसिंह--तू चली गई तो मैं वहीं बैठ कर घंटों रोता रहा।जी में आता था हाथ काट लूँ।कभी जी चाहता था जहर खा लूँ। अब जो सजा तेरे जी में आवे,दे दे।अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊँगा। "(14) मुलिया-"क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है?--मुझसे दया माँगते हो, इसलिए न कि मैं चमारिन हूँ,नीच जाति हूँ और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की-धमकी वा जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी।कितना सस्ता सौदा है।ठाकुर हो न,ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे?"(15) और फिर चैन सिंह ने मुलिया की लाज निभाई।

सामाजिक परिवर्तन के साथ सभी वर्गों की स्थितियों में बदलाव आया है। साहित्यकार ने जिस

दलित वर्ग की समस्या का चित्रण किया है, उसका विवेचन उनके युग के आधार पर करना चाहिए। वह समय राजतंत्र, जमींदारी -व्यवस्था, जाति और धर्म पर आधारित विभक्त सामाजिक स्वरूप का था। समाज में जाति-धर्म-संस्कृति में संघर्ष होना शुरू हो चुका था। प्रेमचन्द का साहित्य उसी समाज का दर्पण है। परन्तु एक दूरदर्शी साहित्यकार प्रेमचन्द ने समाज का भविष्य भी देखा है। इसलिए आज 2018 ई० की दलितों की स्थिति का चित्रण करने वाला प्रेमचन्द का साहित्य लगभग 100 वर्षों के बाद भी

प्रासंगिक

है।

वर्तमान समाज में दलितों की स्थिति दलित-चितक चंद्रभान प्रसाद के आलेख से, जिसमें कहा गया है कि "मालवा, मध्यप्रदेश दलित बस्ती में सवर्णों ने कुएँ में किरासिन तेल डाल दिया क्योंकि दलित परिवार ने बेटे की शादी में बैन्ड बाजा बजवाया था। सहारणपुर के धड़कौली गाँव में दलित बस्ती से सटे 'द ग्रेट चमार' बोर्ड पर सवर्ण अभी तक तीन हमले कर चुके हैं। दलितों पर तरह-तरह के हमले हो रहे हैं। निजामपुर का दलित दुल्हा गदहे पर ही स्वीकार्य है। अपनी कमाई की घोड़बग्गी पर नहीं।" (16) आज दलितों-पिछड़ों की ऐसी स्थिति कहीं-कहीं है। बड़ी संख्या में आज दलित वर्ग के लोग भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। आज ठाकुर के कुएँ या साहू के कुएँ के भरोसे जोखू और गंगी नहीं हैं। सरकारी सहायता मिलने से इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में विकास हुआ है। कितने जोखू और कितनी गंगी आज पंचायत चुनाव जीतने के बाद मुखिया सरपंच वार्ड पार्षद हैं। पिछड़े इलाके में भी प्रेमचन्द के समय की स्थिति नहीं है। आज दलित वर्ग के लोग भी समाज में प्रतिष्ठा पा रहे हैं। इस दलित विमर्श के संदर्भ में ध्यान देने की बात यह है कि सरकार के संरक्षण में लाभ प्राप्त होगा, इस ध्येय से भी बहुत सारी जातियाँ अपने आप को महादलित वर्ग में रखना चाहती हैं। दलित समुदाय के लोग पढ़ाई-लिखाई करने लगे हैं। सरकारी सहायता मिलने से इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया है। साहित्यकार ने जिस दलित वर्ग का चित्रण किया है वह दूर दराज के पिछड़े इलाके में मिल जाता। समय के साथ सभी में परिवर्तन हुआ है। अब कोई दलित किसी ठाकुर के कुएँ के भरोसे नहीं है। सरकारी सहायता से पिछड़े इलाके में भी सार्वजनिक नलों की व्यवस्था की गई है। पगडंडियाँ पक्की सडकों में बदल चुकी हैं। साहित्यकार के सपने साकार हुए हैं।
